शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
आदेश

पटना, दिनांक 17/03/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–40/2026–1066/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०ज०सी० सं०–1439/2026 शोभा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–31.01.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...Considering the limited nature of prayer being made by learned counsel for the petitioner, this writ application stands disposed of directing the Additional Chief Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, Patna to dispose of the pending representation of the petitioner dated 06.10.2025 (Annexure-P-8) within a period of three months from the date of receipt / production of a copy of this order after giving an opportunity of hearing to the petitioner.

7. Needless to emphasize that the final order which shall be passed by the Additional Chief Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, Patna, should be reasoned and speaking order.

8. It is further made clear that in case the petitioner is found entitled to the relief which the petitioner is claiming in the pending representation, the same should be extended to the petitioner within a further period of one month from the date of passing of the final order by the Additional Chief Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, Patna..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–881 दिनांक–23.02.2026 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को सुनवाई निर्धारित करते हुए वादी को सूचना दी गई। उक्त सुनवाई में वादी उपस्थित हुए तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम अपना पक्ष रखते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया।

4. उक्त अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी श्रीमती शोभा कुमारी बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–25/2024 द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये। उक्त के उपरांत उन्हें पटना जिला आवंटित हुआ तथा उनके द्वारा पटना जिलान्तर्गत तीन प्रखण्ड का विकल्प क्रमशः 1. पटना सदर 2. फुलवारी शरीफ एवं 3. दानापुर दिया गया। परन्तु उक्त प्रखण्डों के अतिरिक्त उन्हें धनरूआ प्रखण्ड आवंटित हुआ। वादी श्रीमती कुमारी का दावा है कि विभागीय पत्रांक–3548 दिनांक–05.10.2025 द्वारा प्रधान शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण के अनुरूप उनका भी स्थानांतरण उनके द्वारा दिये गये प्रखण्डों के विकल्प में किया जाय।

5. अंकनीय है कि वादी श्रीमती कुमारी के जिला एवं प्रखण्ड आवंटन से संबंधित जाँच प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर से करवाई गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–25/2024 के प्रकाशित परीक्षाफल में श्रीमती कुमारी को BC श्रेणी में वरीयता क्रमांक–49179 प्राप्त हुआ।

4. अंकनीय है कि विभागीय ज्ञापांक–896 दिनांक–26.03.2025 द्वारा गठित समिति की दिनांक–01.07.2025 को निदेशक, प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभागीय दिशा–निर्देश के

अनुरूप ***Merit-Cum-Choice*** के आधार पर सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 35334 अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1837 दिनांक–01.07.2025 द्वारा जिला आवंटित किया गया। उक्त के आधार पर BC श्रेणी में वरीयता क्रमांक–50661 तक के अभ्यर्थी को पटना जिला आवंटित हुआ। चूंकि श्रीमती कुमारी का वरीयता क्रमांक–49179 है, तदनुसार उनके द्वारा दिये गये जिलों के विकल्प में से प्रथम विकल्प पटना जिला आवंटित हुआ।

5. तदोपरांत उक्त अभ्यर्थियों से आवंटित जिलान्तर्गत पदस्थापन हेतु तीन–तीन प्रखण्ड के विकल्प की मांग की गई एवं उक्त समिति की दिनांक–12.07.2025 को सम्पन्न बैठक में कुल 35333 सफल अभ्यर्थियों को विभागीय ज्ञापांक–1934 दिनांक–14.07.2025 को प्रखण्ड/विद्यालय आवंटित किया गया। अंकनीय है कि श्रीमती कुमारी (वरीयता क्रमांक–49179) द्वारा पटना जिलान्तर्गत तीन प्रखण्ड 1. पटना सदर अरबन 2. फुलवारी शरीफ एवं 3. दानापुर का विकल्प दिया गया। उक्त प्रखण्ड में BC श्रेणी में वरीयता क्रमांक का कट–ऑफ क्रमशः 45909, 18634 एवं 23787 गया। चूंकि श्रीमती कुमारी उक्त वरीयता क्रमांक कट–ऑफ से बाहर थी, जिस कारण श्रीमती कुमारी को उक्त प्रखण्ड आवटित न होकर धनरूआ प्रखण्ड आवंटित हुआ। प्रखण्ड आवंटन के उपरांत श्रीमती कुमारी धनरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, महुआबाग में योगदान देकर कार्यरत है।

6. विभागीय पत्रांक–3548 दिनांक–05.10.2025 द्वारा प्रधान शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण की शक्ति बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के नियम 7(5) में निहित है। साथ ही उक्त नियमावली के नियम 7(4) में उल्लेखित है कि *"प्रधान शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा जिले के भीतर अथवा बाहर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। परन्तु एक प्रधान शिक्षक अपने सेवा काल में केवल दो बार इस प्रकार के विकल्प का उपयोग कर सकेंगे। अधिकार के रूप में इस सुविधा का दावा नहीं किया जा सकता है और प्रशासी विभाग अत्यावश्यक परिस्थितियों के आधार पर इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार के स्थानान्तरण के मामले में, संबंधित प्रधान शिक्षक को संगत नियुक्ति वर्ष की ग्रेडेशन सूची निम्नतम पायदान पर रखा जाएगा।"*

अतएव बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के नियम 7(4) के आलोक में याचिकाकर्त्ता के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

Rajendra 13.3.2026

(डॉ० बी. राजेन्दर)

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07/मु0–01–40/2026...1066...पटना, दिनांक...17/03/26...

प्रतिलिपिः– Shobha Kumari Wife of Sri Ravi Kant Kumar, Daughter of Late Bhola Prasad Giri, Residence of Village-Khedalpura, P.O. and P.S.-Bihta, District-Patna, State-Bihar.

Rajendra 13.3.2026

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–40 / 2026....1066.....पटना, दिनांक....13/03/26.....

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajeev 13.3.2026

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।